RAGGING

Ragging : A Punishable Offence.

रैगिंग : एक दण्डनीय अपराध है।

Mobile is Prohibited in college campus.

महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित है।

JYOTI BHUSHAN PRATAP SINGH
LAW COLLEGE, KORBA (C.G.)
Rani Mahal, Rani Road,
Korba (C.G.)
Tel : +91 7759-248432
Cell: +91 98274-87929
Fax.:+91 7759-247222
Web.: www.jbpslawcollege.com
E-mail : principal@jbpslawcollege.ac.in
hkfreelglaidclinic@gmail.com

₹ 100/-

Agrawal Photocopier, Korba# 9827506462

विद्या विधिक सेवार्थ

ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

JYOTI BHUSHAN PRATAP SINGH LAW COLLEGE KORBA (C.G.)

अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से सम्बद्ध जिले का प्रथम एवं एकमात्र विधि महाविद्यालय

BAR COUNCIL OF INDIA

BAR COUNCIL OF INDIA

MILLENNIUM PLEDGE
"While Entering the New Millennium, The BAR COUNCIL OF INDIA vision for better world. Re-Dedicationiself to strive for maintenance of highest standards of professional ethics, advancement of legal profession and service and service to HUMANITY"

बार कौंसिल ऑफ इंडिया से सम्बद्ध विधि महाविद्यालय

कमला नेहरू महाविद्यालय समिति, कोरबा (छ.ग.)

डॉ. बंशीलाल महतो
अध्यक्ष

श्री लोकेश्वर सिंह तोमर
उपाध्यक्ष

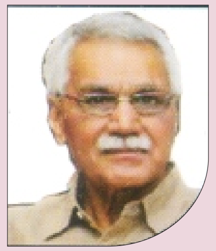
श्री अशोक शर्मा
सचिव

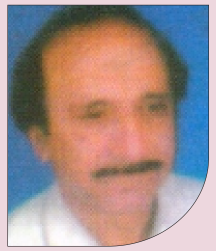
श्री सुरेन्द्र लाम्बा
सहसचिव

श्रीमती निर्मला सिंह
संस्थापक दानदाता

श्री जसराज जैन
आजीवन सदस्य

श्री भिवेन्द्र बहादुर सिंह
दानदाता सदस्य

श्री किशोर शर्मा
आजीवन सदस्य

श्री अन्तुलाल
आजीवन सदस्य

श्री रमेश जायसवाल
दानदाता सदस्य

डॉ. जे.पी. चन्द्रा
दानदाता सदस्य

श्री नानजी भाई पटेल
दानदाता सदस्य

श्री घनश्याम बोंदिया
दानदाता सदस्य

डॉ. आर.सी. पाण्डेय
आजीवन सदस्य

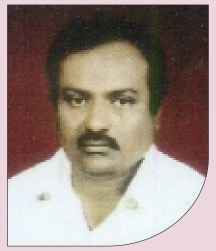
श्री अरविंद कुमार साहू
दानदाता सदस्य

श्री रामकुमार साहू
दानदाता सदस्य

श्री गोपाल मोदी
दानदाता सदस्य

श्री विकास महतो
दानदाता सदस्य

डॉ. आर.एन. पाण्डेय
आजीवन सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि

प्रशासन समिति
ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

डॉ. बंशीलाल महतो	-	अध्यक्ष	डॉ. आर. एन. पाण्डेय	-	आजीवन सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि
श्रीमती निर्मला सिंह	-	संस्थापक दानदाता	डॉ. एच.आर. कमलेश	-	शासकीय प्रतिनिधि
श्री किशोर शर्मा	-	आजीवन सदस्य	डॉ. एच.आर. आगर	-	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
श्री सुरेन्द्र लाम्बा	-	आजीवन सदस्य	श्री नानक सिंह परस्ते	-	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
श्री घनश्याम बोन्दिया	-	दानदाता सदस्य	श्री एच.के. पासवान	-	प्राचार्य/सचिव, शिक्षक प्रतिनिधि
श्री रामकुमार साहू	-	दानदाता सदस्य			

CORE FACULTY

श्री एच.के. पासवान (एलएल. एम.,नेट)	प्रभारी प्राचार्य, पूर्व वायुसेना अधिकारी
श्री रजनीश मिश्रा (एलएल. एम.,नेट)	सहायक प्राध्यापक
श्री महिपाल कहरा (एलएल. एम.)	सहायक प्राध्यापक
श्रीमती भारती अहिरवार (एलएल.एम.)	सहायक प्राध्यापिका
सुश्री मध्यमा पाण्डेय (एलएल.एम.)	अतिथि सहायक प्राध्यापिका
सुश्री सुभा वर्मा (एलएल.एम.)	अतिथि सहायक प्राध्यापिका
श्री विकास कुमार जायसवाल (एम.लिब.,नेट)	ग्रंथपाल

कार्यालयीन कर्मचारी

श्री धरम सिंह कंवर	मुख्य लिपिक
श्री नवनीत कुमार रजक	भृत्य
श्री सत्येन्द्र कुमार निर्मलकर	भृत्य

सत्यनारायण यादव
विश्वविद्यालय
क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान

मोनिका मोदी
वि.वि. पूर्व स्वर्णपदक विजेता

मूट कोर्ट विनर स्टुडेंट्स

कु. जया अग्रवाल

विकास सिंह सिसोदिया

सत्र 2016-17 वि.वि. प्रावीण्य सूची में स्थान

राशि हंसराजानी
द्वितीय

खुशबू अग्रवाल
सप्तम्

कु. भारती कुलदीप

कु. आरती ठाकुर

सिविल जज़

दीपक चौहान

अनिल कुमार सिंह

जिला अभियोजन अधिकारी

INTRODUCTION

हम उन सभी पालकों के आभारी है जिन्होंने अपनी आस्था एवं विश्वास हमारे संस्थान को देते हुए अपने बच्चों का प्रवेश ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा में कराया। आज हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हमने पालकों एवं छात्र-छात्राओं की आवश्यकताओं तथा उम्मीदों से अधिक सुविधाएं संस्था में उपलब्ध करायी है। हमें अपने आपको आपके समक्ष एक सम्पूर्ण संस्थान के रुप में प्रदर्शित करते हुए गर्व है। महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ एवं सुविधाओं को हमने इस पुस्तिका में आपकी जानकारी के लिये संकल्पित किया है।

डॉ.बंशीलाल महतो
अध्यक्ष
कमला नेहरू महाविद्यालय समिति, कोरबा

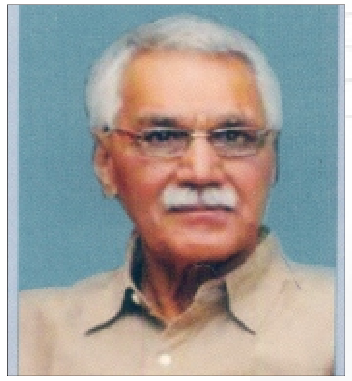

श्री अशोक शर्मा
सचिव
कमला नेहरू महाविद्यालय समिति, कोरबा

MISSION

- छात्र-छात्राओं का विधि द्वारा सर्वांगीण विकास करना।
- छात्र-छात्राओं को बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रगति पर लाना।
- छात्र-छात्राओं को अपने तथा अपने समाज के हित एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करना।
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे नागरिक बनाना।
- विधि के क्षेत्र में विभिन्न रुप में कार्य करते हुए सामाजिक न्याय तथा विकास हेतु प्रेरित करना।

INSTITUTE

कोरबा जिले के इस प्रथम विधि महाविद्यालय की स्थापना 1 सितमबर 2006, शुक्रवार को उस समय हुआ जब विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राएं शहर छोड़कर समस्याओं का सामना कर बाहर पढ़ते थे। सत्र 2006 में 80 छात्र-छात्राओं के साथ विधि प्रथम वर्ष में इस महाविद्यालय का आरंभ हुआ जो वर्तमान में 250 से अधिक छात्र-छात्राएं विधि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं विधि महाविद्यालय कोरबा में आपके द्वारा प्रवेश हेतु लिये गये निर्णय का स्वागत करता हूं। आज विश्वविद्यालय में हमारे महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं प्रावीण्य सूची में स्थान बना रहे हैं। विधि के छात्र- छात्राएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायें एवं महाविद्यालय का नाम रोशन करें।

श्री एच.के पासवान
प्रभारी प्राचार्य
ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय, कोरबा

बार कौंसिल ऑफ इंडिया

ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं बार कौंसिल ऑफ इंडिया से संबद्धता प्राप्त है,जहाँ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विषय एवं पाठ्यक्रम ही पढ़ाये जाते हैं। ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय का संचालन कमला नेहरु महाविद्यालय समिति कोरबा द्वारा किया जाता है एवं बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

FUTURE PLAN

1. ग्रंथालय का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण करना।
2. महाविद्यालय को एजुकेशन हब के रुप में विकसित करना।
3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि संगोष्ठी का आयोजन करना।

महाविद्यालय में उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर एवं अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियानुसार प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्र-छात्राओं की योग्यता, प्रावीण्यता के आधार पर चयन किये जाने तथा प्राचार्य की स्वीकृति पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय परीक्षा में नकल करते पकड़े छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

ACADEMIC PROGRAMMES

LL.B.-I	80 Seats
LL.B.-II	80 Seats
LL.B.-III	80 Seats

प्रवेश- पात्रता-

प्रवेश हेतु आवश्यक प्रपत्र

1. स्नातक- 45% (अनु.जाति / अनु.जनजाति- 5%)
2. महाविद्यालय द्वारा जारी आवेदन प्रपत्र
3. अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि
4. स्थानांतरण प्रमाण पत्र - मूल प्रति
5. चरित्र प्रमाण पत्र - मूल प्रति
6. प्रवजन प्रमाण पत्र - मूल प्रति
7. अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों के लिये - पात्रता प्रमाण पत्र (अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
8. अंतराल प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो
9. पासपोर्ट साईज की नवीनतम 3 फोटो।

परिचय पत्र

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र-छात्राओं को डिजिटल परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
2. परिचय पत्र प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिये अनिवार्य है।

पुस्तकालय: हमारे ग्रंथालय में विधि विषय से संबंधित कुल पुस्तकों की संख्या लगभग 8050 है, जिसमें विधि -प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष की पुस्तकें शामिल है। ग्रंथालय में विधि से संबंधित समसामयिक पत्रिका, सुप्रीम टूडे, 1951 से अब तक का सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय, E-Library साफ्टवेयर के रुप में उपलब्ध है। द प्रेक्टिकल लॉयर, द एडिक्ट लॉयर उपलब्ध है। इसके साथ A.I.R. सुप्रीम कोर्ट केस, ईश्योरेंस केस, म.प्र. जजमेंट के अलावा विधि से संबंधित सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध है।

मूट कोर्ट एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ : महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की प्रतिभा एवं विधिक कौशल हेतु मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव के मंचन हेतु महाविद्यालय में सर्वसुविधायुक्त ओपन थियेटर उपलब्ध है।

साथ ही विधिक साक्षरता दिवस, मानवाधिकार दिवस, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, वाद-विवाद, काव्य गोष्ठी, चित्रकला, सेमीनार, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाता है तथा विधि कोर्ट की शैक्षणिक सत्र में भ्रमण भी कराया जाता है।

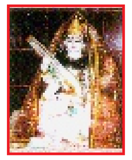

मंदिर : ज्योतिभूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा जिला का एक मात्र विधि महाविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी विधि अध्ययन के साथ ही आध्यात्मिक विकास हेतु ज्ञान की आराध्य देवी माँ सरस्वती पूजन के अवसर पर भव्य पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जाता है।

स्कॉलरशिप एवं शुल्क में छूट : महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को केन्द्र शासन एवं छ.ग. शासन द्वारा प्रदत्त तथा छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही निर्धन एवं जरुरतमंद छात्र-छात्राओं को शुल्क में विभिन्न प्रकार के छूट प्रदान करती है। महाविद्यालय में एक पालक के यदि दो छात्र-छात्रायें में अध्ययनरत हों तो एक की फीस में आधी रियायत प्रदान की जाती है।

कांफ्रेंस व सेमीनार : विगत वर्षो से महाविद्यालय में विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। विगत वर्ष विधि महाविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छ.ग. बार कौंसिल के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों के द्वारा विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपना विचार प्रकट कर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के मध्य बौद्धिक विकास करते हैं।

खेल : समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय में जिम की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर खेल की व्यवस्था है, हमारे महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को काफी प्रोत्साहित किया जाता है। महाविद्यालय परिसर पर रंगमंच, जलपान गृह, शुद्ध पेयजल व्यवस्था है। महाविद्यालय में 8 अध्ययन कक्ष, गर्ल्स कामन रुम है।

रेडक्रॉस : महाविद्यालय में रेड-क्रॉस सोसायटी का संचालन शीघ्रातशीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

कैम्पस : ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय, कोरबा अपने स्वयं के भवन में संचालित है। कैम्पस में केंटीन, फोटोकापी एवं फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय नामांकन - महाविद्यालय के स्नातक भाग-एक में प्रवेश प्राप्त एवं अन्य प्रदेश / विश्वविद्यालय से आए छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर नामांकन प्रपत्र भरना होगा ताकि विश्वविद्यालय में उनका नामांकन हो सके। बिना नामांकन के छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। नामांकन कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र-छात्राओं का होगा।

उपस्थिति / आचार संहिता:-

1. छात्र-छात्राओं की उपस्थिति प्रत्येक विषय / कक्षा में नियमित रुप से अनिवार्य है। जिन छात्र-छात्राओं की उपस्थिति किसी भी विषय में 75 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें विश्व विद्यालय नियमानुसार परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
2. उपस्थिति प्रत्येक कालखण्ड में ली जाती है, छात्र-छात्राएं अवकाश लेने की लिखित सूचना संबंधित प्राध्यापक को अनिवार्य रुप से दें।
3. महाविद्यालय में शालीन पोशाक में आएं, उनके वस्त्र किसी भी स्थिति में आपत्तिजनक नहीं होने चाहिए।
4. छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में शालीन पोशाक में आएं, उनके वस्त्र किसी भी स्थिति में आपत्तिजनक नहीं होने चाहिए। आपत्तिजनक पोशाक पर महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
5. हर छात्र-छात्रा को विभिन्न विषयों / विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित इकाई जॉच परीक्षा, आंतरिक परीक्षा एवं संगोष्ठियों में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा से वंचित कर दिया जायेंगे।
6. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं का प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जावेगा। जिसका उत्तरदायित्व संबंधित छात्र-छात्रा की होगी। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गई किसी भी राशि को वापस नहीं किया जायेगा।
7. प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्रा यदि किसी तरह की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहते हैं। महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाते हैं या पहुंचाने का प्रयास करते है। महाविद्यालय के किसी अधिकारी / कर्मचारी से दुर्व्यवहार करते है तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
8. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है, संलिप्त होने की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
9. छात्र-छात्राएं आवेदन पत्र में दर्शाए गए पते में परिवर्तन की सूचना तत्काल महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध करायें।
10. महाविद्यालय के सभी नियम उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय एवं कमला नेहरु महाविद्यालय समिति कोरबा के द्वारा तय किये जाते हैं जो समय-समय पर परिवर्तनशील है। नियमों में परिवर्तन की सूचना छात्र-छात्राओं को दी जायेगी। महाविद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं पर ये नियम बंधनकारी होंगे।

प्रत्याहरण- महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कोई छात्र या छात्रा यदि सत्र के मध्य में संस्था छोड़ता / छोड़ती है तो उसे निम्नानुसार कार्यवाही पूरी करनी होगी। संस्था छोड़ने के उचित कारण की लिखित सूचना देना, समस्त शुल्क जमा करना व महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय से प्राप्त सहायता तथा निःशुल्क शिक्षा / छात्रवृत्ति / ग्रंथालय की पुस्तकें / खेल सामाग्री / एनसीसी / एनएसएस से प्राप्त सामाग्री / गणवेश इत्यादि लौटानी होगी। अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही प्रदान की जा सकती है। छात्र-छात्राएं स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी होने के 6 माह के भीतर ही अवधान राशि प्राप्त कर लेवें एवं इस हेतु प्रवेश के समय की रसीद प्रस्तुत करें।

CITIZEN CHARTER- महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र या छात्रा शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। कार्यालय 10:30 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहेगा इसी अवधि में कार्यालयीन कार्य होंगे। प्रातः 10:30 बजे से 3:00 बजे तक शुल्क जमा होगा। दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य होंगे। दोपहर 3:00 बजे से 5:30 बजे तक टी. सी. व चरित्र प्रमाण पत्र जारी होंगे। इस हेतु कम से कम 2 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। महाविद्यालय में अध्यापन कार्य निर्धारित समय सारिणी अनुसार होंगे- प्राचार्य से मिलने का समय दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक होगा।

Career Oriented Courses

1 जुलाई से प्रारंभ होने वाला महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर एवं अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार संचालित होता है।